राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(65)एम.ई./ग्रुप–1/2005 पार्ट जयपुर, दिनांकः 8/12/2021

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(168)एम.ई/ग्रुप–1/91 दिनांक 08.04.2005 के द्वारा डॉ. सुभाष जांगिड, (मेरिट क्रमांक आर–01, जन्मतिथि 23.01.1975) की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर आदेश दिनांक 05.05.2005 द्वारा इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था।

डॉ. जांगिड ने प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2007 प्रेषित कर दिनांक 24.11.2007 व 25.11.2007 के राजकीय अवकाश का उपभोग करने हेतु मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात् डॉ जांगिड ने फेक्स द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2007 प्रेषित कर दिनांक 26.11.2007 से 15 दिवस का अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ने उनके पत्र क्रमांक 864–68 दिनांक 24.01.2008 के द्वारा डॉ जांगिड को उनके बीकानेर एवं जोधपुर के पतों पर कार्य पर उपस्थित होने की सलाह दी गई। डॉ जांगिड ने उक्त पत्र दिनांक 24.01.2008 के क्रम में प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2008 के माध्यम से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अवैतनिक अवकाश में 03 माह की अभिवृद्धि बाबत् अनुरोध किया गया। विभाग के पत्र दिनांक 16.02.2008, 17.03.2008 एवं 19.05.2008 के द्वारा डॉ जांगिड को कार्य पर उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया परंतु डॉ जांगिड कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। डॉ जांगिड ने पत्र दिनांक 03.07.2008 द्वारा दिनांक 21.07.2008 से त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इनके विरूद्ध सीसीए नियम–16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही लम्बित होने के कारण त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार डॉ. जांगिड दिनांक 26.11.2007 से निरन्तर स्वेच्छा से राज्य सेवा से अनुपस्थित रहे हैं।

इस विभाग द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने से पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा डॉ. जांगिड को दिनांक 26.11.2007 से स्वेच्छा से राज्य सेवा से अनुपस्थित रहने के संबंध में दिनांक 15.02.2021 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने/सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया।

इस विभाग द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक 01'02.2021 के क्रम में डॉ जांगिड ने पत्र दिनांक 08.04.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रेषित किया, जिसके अनुसार एम्स, नई दिल्ली से फैलोशिप एवं एम.सीएच. करने के कारण उनके द्वारा राज्य सेवा से त्याग पत्र चाहा गया था एवं वह राज्य सेवा में कार्य नहीं करना चाहते हैं।

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(4)FD/Rules/2006 दिनांक 12.01.2017 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) में किये गये संशोधित प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(4) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

A government servant shall be deemed to have resigned from the service if he,-

(A) is absent without authorization for a period exceeding one year from the date of expiry to sanctioned leave or permission, or
(B) is absent from duty for a continuous period exceeding five years even if the period of unauthorized absence is for less than a year, or
(C) Continuous on Foreign Service beyond the period approved by the state government.

अतः डॉ. सुभाष जांगिड, सहायक आचार्य, अस्थि रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के दिनांक 26.11.2007 से निरन्तर स्वेच्छा से राज्यकार्य से अनुपस्थित रहने के कारण वित्त (नियम) विभाग की उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत डॉ. जांगिड की अनुपस्थिति deemed to have resigned माने जाने के कारण डॉ. सुभाष जांगिड, की सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद की सेवा तुरंत प्रभाव से एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,
8/12/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग को उनके अशा.टीप क्रमांक प. 1(278)कार्मिक/क–3/2008 दिनांक 29.09.2021 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
5. डॉ. सुभाष जांगिड, सहायक आचार्य, अस्थि रोग मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

8/12/21
(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव